संख्या331/38–9–10–500(21)/09

प्रेषक,

आर0एन0सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उ0प्र0।

ग्राम्य विकास अनुभाग–9 लखनऊः दिनांक 31 मार्च,2010

विषयः–विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत मा0 विधायकों के उपयोगार्थ लैपटाप कम्प्यूटर क्रय किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत ऐसे मा0 विधायकगण जो एक बार लैपटाप कम्प्यूटर ले चुके है, उनसे ह्रास मूल्य जमा कराकर दूसरा लैपटाप कम्प्यूटर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था शासनादेश संख्या 319विनि0/38–3–02–500(19)/01 दिनांक 16–11–2002 द्वारा की गई है।

2– इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत मा0 विधायकगण को उपलब्ध कराये गये लैपटाप कम्प्यूटर के खोने अथवा अन्य किसी प्रकार से नष्ट अथवा अक्रियाशील हो जाने पर दूसरा लैपटाप कम्प्यूटर उक्त शासनादेश दिनांक 16–11–2002 की व्यवस्था के अनुसार मा0 सदस्यगण द्वारा ह्रास मूल्य स्वयं वहन करने पर शासनादेश संख्या 75/38–9–08–500(96)/07 दिनांक 10–3–2008 द्वारा निर्धारित धनराशि रू0–1.25 लाख की सीमा में उपलब्ध कराया जा सकेगा।

भवदीय,

(आर0एन0सिंह)
विशेष सचिव

संख्या–331 / 38–9–10 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2–प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य उ0प्र0शासन।
3– प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री उ0प्र0शासन।
4– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग उ0प्र0शासन।
5– प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग उ0प्र0शासन।
6– प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय उ0प्र0।
7– प्रमुख सचिव, विधान परिषद सचिवालय उ0प्र0।
8–आयुक्त,ग्राम्य विकास उ0प्र0 लखनऊ।
9–प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
10–समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0।
11–समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने अपने जनपदों में मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों को प्रश्नगत शासनादेश की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12–निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री।
13– निजी सचिव, मुख्य सचिव,उ0प्र0 शासन।
14– निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त,उ0प्र0 शासन।
15–गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(रामसेवक)
अनुसचिव